

फर्द अहकाम  
 अनुमान बनाम श्री गोपालराव

उपवानी :-  
 नाम न्यायालय-उप खण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर (राज.)  
 केस संख्या 75/2014 प्रार्थनापत्र

क्रम संख्या  
 दिनांक आधी या  
 कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

08/06/18

पञ्जावली राजस्व लोक अदालत में पेश हुई। उपस्थित प्रार्थी को भजमे आम सुना गया। पञ्जावली, पगवली पर उपलब्ध दस्तावेजों विधि के सुभात प्रावधानों का अवलोकन किया गया। ग्राम पुरावाला के खाता सं. 216 में दर्ज ख.नं. 86, 83/821 तथा ख.नं. खाता सं. 218 में दर्ज ख.नं. 193, 205, 394, 470, 474, 501, 502, 511, 518, 519, 520, 521 दोनो खातों के कितना 14 रकबा 1.82 हैबेटेयल भूमि पक्षकारानु की संयुक्त खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। यह भी कि हाल ख.नं. 205 में कोरिंग बना हुआ है, जिपका विधुत कनेक्शन भी संयुक्तरूप से दर्ज है। पक्षकारान के मध्य मुख्य विवाद तथा कथित कोरिंग व उसके विधुत कनेक्शन को लेकर है। आराजी मुतनाजा सम्पूर्ण खालत पक्षकारान के मध्य वाद विचाराधीन है। वाद में अंकित तथ्यों का न्यायपूर्ण निस्तारण होने पक्षों की साक्ष्य उपरान्त संभव होगा, तब तक यह न्यायोचित है कि दोनो पक्षों के मध्य विवाद नहीं बढ़े, अनावश्यक मुकदमे जारी नहीं हए इसके लिए दोनो पक्षों को तार्फसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से

नि. अनुमान



फर्द अहकाम  
हनुमान बनाम V/S गोपाल कौर

4

उप खण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर (राज.)

75/2014

प्राधिकापत्र

आज्ञा या  
वाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

पाठ्य द्रिदा ज्ञाता है कि हिस्सा अनु-  
सात तथाकथित बोरिंग व विद्युत  
कनेक्शन के उपयोग-उपभोग में  
छाया कारित नहीं करे तथा आराजी  
मुतनाजा खनन. 86, 83/821,  
193, 205, 394, 470, 474, 501, 502  
511, 518, 519, 520, 521 के राजस्व  
रिकार्ड एवं मौका की तथाकथित  
बनाये रखें। निर्णय मजमे- आत  
सुनापा गया।



*(Signature)*

पीठासीन अधिकारी

राजस्व लोक अदालत

न्याय आपके द्वार-2018

उपखण्ड- विराटनगर (जयपुर)

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50